न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

अपील प्रकरण संख्या –100/2025 दायर दिनांक 16.06.2025 GCMS CASE NO-2025/119

जगदीश पुत्र सहीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़

––अपीलांट

वनाम

1. भागीरथ पुत्र लालुराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़
2. चरणाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़
3. पन्नाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़
4. इन्द्राज पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

––रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 5

–::निर्णय::– दिनांक : 12.05.2026

1. अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के आदेश दिनांक 25.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।
2. वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट की भूमि रोही कानौर के खसरा न. 117/4 पर रेस्पोडेंट के खसरा न. 462/117 को फिट करने के बाद खसरा न. 462/117 की पैमाईश का आदेश जैर अपील आदेश दिनांक 25.04.2025 द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना कोई सूचना/नोटिस दिये पारित कर दिया। अपीलांट के कब्जा काश्त के खसरा न. 117/4 के चिपते खसरे के आस–पास कोई कब्जा काश्त का रकबा नही है। रेस्पोडेन्ट स0 1 अपने नाम की जिस भूमि को काश्त कर रहा है, वह भूमि अपीलान्ट की भूमि से लगभग 1247 फुट की दूरी पर स्थित है। परन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट स0 1 ने राजस्व कर्मचारी पटवारी व गिरदावर से मिलीभगत कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपीलान्ट की वर्षो पुरानी कब्जा काश्त भूमि खसरा न0 117/4 पर रेस्पोडेंट संख्या 1 को खसरा न. 462/117 आंवटित दिखाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम की भूमि लठठा नक्शा में परिवर्तन करवा कर उसके नाम से तरमीम करवाकर लाल स्याही से नक्शे मे स्थापित करवा लिया। उक्त खसरा 462/117 को तरमीम करने के सम्बध मे जमाबन्दी या नक्शे मे कोई नोट अंकित नही किया गया है। [illegible] कहा जा सके कि उक्त तरमीम किस आदेश की पालना में की गई है। उक्त खसरा [illegible]/117 की असवैधानिक तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के [illegible] आदेश के होने [illegible] शुरू से ही शून्य है एवं अपीलांट के हितो पर निष्प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट स0 1 द्वारा अपने खसरा न0 462/117 की [illegible] के सम्बध मे जो आवेदन पत्र तहसीलदार सूरतगढ के [illegible] प्रस्तुत किया है उसमे प[illegible]ल्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा मद स0 6 पर स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट के खसरा न0 462/117 की नक्शे मे तरमीम की गई है, लेकिन किसी पटवारी व गिरदावर द्वारा सत्यापन नही किया गया है। मौके पर कब्जा सम्बधी विवाद है। पैमाईश होने पर विवाद की स्थिति संभव है। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को हल्का पटवारी की रिपोर्ट की जांच करनी आवश्यक थी और मुझ अपीलान्ट को सूचित कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिये था। परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ ने ऐसा ना कर सीधे तौर पर ही खसरा न0 462/117 की पैमाईश का आदेश पारित कर दिया जो गैरकानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरित है। खसरा न0 462/117 का निर्माण करते समय राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 62 मे दिये गये नियमो की पालना नही की गई है। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र मे भी अंकित किया गया है कि रोही कानौर के खसरा न0 117/4 मे खसरा न0 462/117 के तरमीम के सम्बध मे इस कार्यालय से कोई आदेश जारी नही किये गये है। मौके पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार विधि विरूद्व तरमीम किये गये खसरा न0 462/117 की पैमाईश किया जाना उचित नही है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RJR (Revenue) 2025 page 262 की ओर ध्यान दिलाया।

3. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस रेस्पोडेट संख्या 1 के नाम रोही कानौर के खसरा न. 117/4 वर्तमान खसरा न. 462/117में 4.732 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अपीलांट वं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के नाम 2.024 है0 अर्थात 8.00 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट ने अपील मीमो में रोही कानौर के खसरा न. 117/4 में 25.00 बीघा टीसी आवंटन अपने पिता सहीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल के नाम होना बताया है। परन्तु अपील में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के पिता की खातेदारी पत्रावली की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलांट के पिता के नाम खसरा न. 117/4 में 8.00 बीघा रकबा था। जिसकी खातेदारी स्वयं सहीराम पुत्र सुखराम ने उक्त रकबा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज है। रोही कानौर में कुल 304 बीघा रकबा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने का कानूनी अधिकारी है। अपीलांट के संयुक्त 8.00 बीघा रकबा के आधार पर किसी काश्तकार को अपनी भूमि की पैमाईश करने से नहीं रोका जा सकता। अगर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के पास 8.00 बीघा से अधिक का कब्जा है तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है जिसे किसी भी तरह से संरक्षण नहीं दिया जा सकता। खातेदार को भूमि के सीमाज्ञान से वास्तविक स्थिति का पता चलता है तथा समीज्ञान से कब्जा परिवर्तन नहीं होता है। अपीलांट ने दो वर्षो से चल रहे उक्त प्रकरण में मिथ्या कथनों के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि की कार्यवाही को एकतरफा स्थगन आदेश लेकर रोक रखा है। इसलिए उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे। जिससे खातेदार काश्तकार के साथ न्याय हो सके। रेस्पोडेंट संख्या 1 उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश 4–5 वर्षो से करवाना चाहता है जिसे अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 द्वारा अविधिक रूप से रोका जा रहा है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से विधि प्रावधानों के अन्तर्गत सीमाज्ञान करवाने का अधिकारी है इसलिए अपील अपीलांट मिथ्या कथनो एवं बिना किसी दस्तावेजात के आधार पर होने के कारण खारिज की जावे।

4. रेस्पोडेंट संख्या 5 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली [illegible] रेस्पोडेन्ट स0 1 भागीरथ द्वारा तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष रोही कानौर के [illegible] 2/117 की निशान देही दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] ली गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिंनाक 25.04.2025 मे [illegible] भागीरथ के खसरा न0 462/117 की नक्शे मे तरमीम की गई [illegible] गिरदावर द्वारा सत्यापन नही किया गया है। मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है। पैमाईश होने पर विवाद की स्थिति सभंव है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

साबित है कि उक्त तरमीम राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियमो का पालन किये बिना ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किये बिना, सीमाज्ञान के नियमों की पालना किये बिना, किसी प्रकार का विवाद नही होना आदि तथ्यों को नजअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से सीमाज्ञान का आदेश दिया जाना जाहिर होता है। उक्त आदेश नियम विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2025 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner